वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

संख्या : 110/26/प्र0स–आ.व.ग्रा.वि.

दिनांक देहरादून : 04 जनवरी, 2001

कार्यालय ज्ञाप

विषयः वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित वित्तीय प्रक्रिया का सरलीकरण

भारत सरकार से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रदेश सरकार के विभिन्न गैर सेवा विभागों/वाणिज्यिक विभागों, विभिन्न उपक्रमों /निगमों व अय गैर सरकारी/निजी व्यक्तियों तथा भारत सरकार के विभागों व उपक्रमों/निगमों के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के प्रकरण में प्रत्येक पत्रावली पर वित्त विभाग की औपचारिक सहमति प्राप्त की जाती है, क्योंकि इन मामलों में हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का प्रीमियम व प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट के रूप में वसूल किया जाता हैं उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0: 6450/14/3/930/77 दिनांक 02.07.79 द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का प्रीमियम व लीज रेन्ट के रूप में वसूली जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टमानक निर्धारित है।इस प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता है, जिससे वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण हो सके।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण की वित्त विभाग से सम्बन्धित वर्तमान प्रक्रिया का सरलीकरण निम्नवत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वन भूमि का प्रीमियम एवं लीज रेन्ट निर्धारित मानक के अनुरूप होने पर वित्त विभाग की सहमति लिया जाना आवश्यक नही होगा। वन भूमि प्रीमियम एवं लीज रेन्ट के निर्धारण के मानकों का पुनरीक्षण आवश्यकतानुसार समय–समय किया जाना आवश्यक होगा।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : शासनादेश : मानक

(आर.एस.टोलिया)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त